



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243850
CG-DL-E-23022023-243850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]
No. 107]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद् प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-05/12134-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, मेडिकल ट्रेनिंग संस्थान, जासो रोड, सासाराम, बक्सर – 802101, बिहार, बिहार राज्य सरकार और बिहार नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा एएनएम कोर्स चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-05/12134-आईएनसी/12367 दिनांक 19/02/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 19/02/2021 की एक प्रति मेडिकल ट्रेनिंग संस्थान, जासो रोड, सासाराम, बक्सर – 802101, बिहार को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

और जबकि, अवर सचिव, बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने पत्र दिनांक 19/03/2021 के माध्यम से मेडिकल ट्रेनिंग संस्थान को एएनएम पाठ्यक्रम चलाने के लिए दी गई मान्यता को रद्द कर दिया है।

अतः, इस प्रकार, एएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मेडिकल ट्रेनिंग संस्थान की मान्यता वापस ली जाती है क्योंकि उक्त संस्थान के पास राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं है।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./634/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-05/12134-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Medical Training Sansthan** situated at **Jaso Road, Sasaram, Buxar – 802101, Bihar** was recognized by State Government of Bihar and Bihar Nurses & Registration Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-05/12134-INC/12367 dated 19/02/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (H&FW) Department of Health, Government of Bihar, Vikas Bhawan, New Secretariat, Bihar was issued. Copy of the notice dated 19/02/2021 was also enclosed **Medical Training Sansthan** situated at **Jaso Road, Sasaram, Buxar – 802101, Bihar**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

And whereas, the Under Secretary, Government of Bihar, Department of Health, has revoked the recognition granted to **Medical Training Sansthan** for running ANM Course vide letter dated 19/03/2021.

Hence, therefore, the recognition of **Medical Training Sansthan** for conducting ANM Course is hereby withdrawn as the said institution does not have necessary permissions from the state government.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./634/2022-23]